न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 78/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. किशनलाल पुत्र गंगाराम जाति चमार हरिजन निवासी विजयपुर तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... वादी/अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश अलवर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर ।

..... प्रतिवादी/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री रज्जन कुमार सिद्ध अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–22.02.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी साबिक ख0 नं0 795 रकबा 5.03 बीघा हाल नं0 1338 रकबा 39 ऐयर, 1339 रकबा 0.03 ऐयर, 1340 रकबा 23 ऐयर, 1341 रकबा 30 ऐयर, 1342 रकबा 28 ऐयर, 1581 रकबा 7 ऐयर वाके ग्राम विजयपुर वादी को दिनांक 10.5.66 को भूमिहीन होने पर आवंटित हुई थी तथा दिनांक 24.6.66 को दखल दिया गया तभी से वादी उक्त आराजी पर काबिज व दाखिल है । वादी

का नाम दर्ज अलाटी कर रखा है । अर्थात वादी विवादित आराजी का अलाटी है किन्तु कागजात माल में विवादित आराजी के बाबत सिवायचक लगानी दर्ज कर रखा है जबकि वादी आवंटन के तहत सन् 1966 से लगातार काबिज है । अतः दावा डिक्री कर विवादित आराजी के बाबत जो सिवायचक दर्ज कर रखा है उसे कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काकश्तकार घोषित करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । न्याय आपके द्वार कैम्प भण्डवाडा में पेश हुआ । कैम्प में वादी व पैरोकार सरकार को सुना गया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को कैम्प में सुनकर दिनांक 26.5.2017 को वाद वादी खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 26.05.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

बहस में अपीलांट अभिभाषक ने मुख्य तर्क दिया कि उनके दावे को कैम्प कोर्ट/लोक अदालत में बिना तनकीयात कायम किये तथा बिना साक्ष्य व रेकार्ड पेश करने का अवसर दिये वाद को कैम्प में खारिज किया है ।

दूसरा मुख्य तर्क दिया कि उक्त आराजी को अपीलांट उन्हें आवंटित होना बता रहे हैं तथा पटवारी की घटना बही में इसका अंकन हो रहा है । वर्तमान में मौका कब्जा की कोई रिपोर्ट नहीं है । अतः जब तक उक्त बिन्दुओं पर अपीलांट को सुनने का अवसर नहीं दिया जा सकता है तब तक अपीलांट के प्रति न्याय नहीं होगा । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 पैरोकार सरकार अभिभाषक ने बहस प्रतिउत्तर में कहा कि पटवारी की घटना बही में किसी प्रकार का आवंटन होना प्रमाणित नहीं है । वादी द्वारा पट्टा या आवंटन कार्यवाही रजिस्टर आदि भी प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे वादी का आवंटन साबित होता हो । हाल जमाबन्दी सम्वत् 2054–57 में भी विवादित आराजी सिवायचक दर्ज रेकार्ड है । सिवायचक आराजी पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । इसलिए तहत न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और अपील अपीलांट खारिज योग्य है ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह पाया गया कि विवादित आराजी के हक हकूकों का निर्धारण तहत न्यायालय में प्रस्तुत दावे, जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करके रेकार्ड व साक्ष्य से होना चाहिए था किन्तु तहत न्यायालय ने प्रकरण को कैम्प में रखकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जबकि प्रकरण में अपीलांट का भी बहस में मुख्य तर्क यही रहा है कि हमें साक्ष्य व सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय व डिक्री दि0 26.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए रेकार्ड व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्षों को सुनकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर